

Re: Need to resolve the issues pertaining to identification and classification of various castes in the country ? laid

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): उत्तरप्रदेश अन्य पिछडा वर्ग सूची में क्रमांक 46 पर मुस्लिम जाति नद्दाफ, धुनियाँ, मंसूरी के साथ हिंदू जाति यथा- करण, कर्ण, कड़ेरे, कन्देरे को जोड़कर गजट किया गया है इस कारण उनकी सामाजिक पहचान के प्रति संशय उत्पन्न होने के साथ साथ इनको पिछडा वर्ग का संवैधानिक लाभ भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इन हिंदू जातियां का काम हाथ से रुई को धुनना था जो अंग्रेजों के कूरशासन से पूर्व से धुनियाँ नाम की जाति से जाने जाते रहे हैं पर कार्डर से परिवर्तित होकर आजकल करण, कर्ण, कड़ेरे, कन्देरे, कर्णरे, कई नामों से जानी जाती है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1999 में करण, कर्ण, कड़ेरे, कन्देरे नामों से अन्य पिछडा वर्ग में गजट किया गया था परन्तु समान रोजगार धंधा होने के कारण मुस्लिम जातियां नद्दाफ, धुनियाँ, मंसूरी के साथ क्रमांक-46 पर जोड़ दिया था जिसके कारण हिंदू समाज की जातियों को विभिन्न परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज के साथ गजट में जोड़ दिए जाने के कारण अनेक सामाजिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति में भी प्रशासनिक बाधाएं आती हैं। परिणामस्वरूप इन हिंदू जातियों में धर्म परिवर्तन की भी प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि करण, कर्ण, कड़ेरे, कन्देरे जातियों की तरह देश में सभी पिछडा वर्ग की जातियों से सम्बंधित विषयों के निपटान के लिए शीघ्रातिशीघ्र संवैधानिक उपचार करके इन सभी जातियों को राहत प्रदान की जाए।